



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 383

31 श्रावण, 1931 शकाब्द
राँची, शनिवार 22 अगस्त, 2009

मानव संसाधन विकास विभाग

संकल्प

4 अगस्त, 2009

संख्या-12/व० 1-37/2009/2407--राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं को माध्यमिक स्तर के शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु कस्तुरबा गांधी आवासीय मध्य विद्यालय को माध्यमिक विद्यालयों में उल्लिखित किया गया है एवं उल्लिखित करने की कार्रवाई की जा रही है। उल्लिखित माध्यमिक विद्यालयों में पठन-पाठन का कार्य भी सत्र 2009-10 से प्रारंभ किये जाने है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की मंशा है कि इस कोटि के विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र की जाय। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा इन विद्यालयों हेतु पदों का सृजन भी कर लिया गया है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया है :-

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कोटि के कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय मध्य विद्यालयों से उल्लिखित माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यपक, सहायक शिक्षक, शारीरिक शिक्षा अनुदेशक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति झारखण्ड राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय (सेवाशर्त) नियमावली 2004 एवं संशोधित नियमावली, 2008 के प्रावधानों के अनुरूप की जायेगी तथा नियुक्ति के पश्चात् इनकी सेवाशर्तें उक्त नियमावली से आच्छादित होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।